न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 60 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सराकर जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।

बनाम 1.भंवरलाल पुत्र खेताराम
2.अमृतलाल पुत्र खेताराम
3.दामोदर पुत्र खेताराम
4.भगाराम पुत्र मंगलाराम
5.दुर्गाराम पुत्र मंगलाराम
6.भूराराम पुत्र मंगलाराम
7.हुकमाराम पुत्र मंगलाराम
सर्वे जातियान सुथार सर्वे निवासीयान मूलाना तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 17/2012 बनवान मंगलाराम कायम मुकाम खेताराम कायम मुकाम भंवरलाल वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 20.06.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 189, 191(ए), 192 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम मूलाना के खसरा संख्या 938 रकबा 64 बीघा, खसरा संख्या 949 रकबा 110.11 बीघा, खसरा संख्या 902 रकबा 47.11 बीघा, खसरा संख्या 905 रकबा 134.15 बीघा में से रकबा 50.19 बीघा, खसरा संख्या 990 रकबा 135.12 बीघा में से रकबा 119.16 बीघा कुल रकबा 392. 16 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 26.06.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी को बिना किसी उचित आधार एवं कारण के वादीगण के पूर्वजों की समरी के मालिकाना हक की भूमि को बिना कोई जांच किये और सुनवाई का अवसर दिये बिना वादीगण/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी के स्थान पर पड़त सरकार में दर्ज कर दिया जो गलत है। रेस्पोडेंट/वादी को समरी सेटलमेंट से लेकर आज दिन त उक्त भूमि पर काबिज है। तथा मौके पर रेस्पोडेंट/वादी का वक्त समरी से लगातार कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा हैं। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दावा के वाद–पत्र में दावाकृत भूमि के खसरा संख्या तथा रकबे दोनों में जगह–जगह काट–छांट (Over writing) की गई है। वादी साक्षी के शपथ–पत्रों में भी यही काट–छांट स्पष्ट दृष्टव्य है। तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम मूलाना तहसील फतेहगढ (EXP-1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि मंगलाराम वल्द हीराराम (वादीगण/रेस्पोडेंट के पिता/दादा) के नाम समरी में कुल 05 खसरों की 603.15 बीघा भूमि में से वर्तमान बंदोबस्त में बने 4 खसरों की 210.19 बीघा भूमि खातेदारी में उनके पुत्रों के नाम से दर्ज की गई। कमी या बेसी वाले कॉलम में कमी का अंकन है। उन्हें जारी पर्चा लगान (EXP-2) मुताबिक भी उक्त खातेदारी उन्हें मिली। प्रदर्श (EXP-3) के नोट फर्द ई नं. 19 एवं उसके पृष्ठ भाग पर अंकित तहरीर से साबित है कि तत्समय खेताराम पुत्र मंगलाराम (वादीगण 1/1 से 1/3 के पिता) को सुना गया और उस पर उसके हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप विद्यमान है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट के अतिक्रमण बाबत 2011 से पूर्व का कोई सबूत नहीं है। प्रदर्श 12A रेस्पोडेंट से संबंधित नहीं है। प्रदर्श 13A के खसरा संख्या 938, 949

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मे 12 बीघा कुल गवार काश्त अतिक्रमण वादी संख्या 05, प्रदर्श 14A संवत 2067 15 बीघा, प्रदर्श 16A इनके गत कुछ वर्षों की कुछ काश्त के सबूत है। समरी सेटलमेंट में मंगलाराम पुत्र हीराराम सुथार (पूर्वज) की **जागीरदारी भूमि समरी खाता संख्या 99 खसरा संख्या 100 रकबा 86.05 बीघा** (सामनजी के नाडे के पीछे), खसरा संख्या 101 रकबा 115 बीघा बजायत पली के पास, खसरा संख्या 102 रकबा 172. 10 बीघा करड वाली देहरी, खसरा संख्या 103 रकबा 57.10 बीघा ओरणावाई की उतर की तरफ, खसरा संख्या 104 रकबा 172 बीघा साजन की देहरी कुल खसरा संख्या 05 कुल रकबा 603.15 बीघा थी। इनमें से वर्तमान खसरा संख्या 21 रकबा 33.11 बीघा करड़ वाली, खसरा संख्या 900 रकबा 39.12 बीघा भजायत पली के पास, खसरा संख्या 935 रकबा 102.04 बीघा साजन की देहरी से उतर, खसरा संख्या 993 रकबा 35.12 बीघा आरण वाई के उतर की तरफ कुल खसरा 04 कुल रकबा 210.19 बीघा एक परिवार की ईकाई को सीलींग कानून मुताबिक अधिकतम दी जा सकने वाली भूमि की सीमा में खातेदारी दी जा चुकी थी। **खसरा संख्या 938 रकबा 64 बीघा बंजड़, खसरा संख्या 949 रकबा 110.11 बंजड़, खसरा संख्या 902 रकबा 47.11 बीघा बंजड़, खसरा संख्या 905 रकबा 134.15 बीघा, खसरा संख्या 990 रकबा 135.12 बीघा में से 119.16 बीघा कुल रकबा 392.11 बीघा खातेदारी चाही गई है परन्तु दावाकृत खसरों के सृजन बाबत कोई सबूत नहीं दिये है। साक्षी प्रतिवादी के कथनानुसार रेस्पोडेंटगण का दावाकृत सरकारी भूमि पर संवत 2069 व 2070 में ही कब्जा काश्त है।** वादी साक्षी के शपथ–पत्रों में भी कांट–छांट है। इससे स्पष्ट है कि दावा एवं उसके विचारण की प्रक्रियागत कार्यवाही सद्भावी नहीं है। अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 17/2012 बनवान मंगलाराम कायम मुकाम खेताराम कायम मुकाम भंवरलाल वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2014 को अपास्त किया जाता है।

20/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner